कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक—Q-45 / जि0न्या0छिं0 / 2020 छिंदवाड़ा दिनांक 11.01.2021

विविध कार्यालयीन आदेश

(आज दिनांक 11.01.2021 को पारित)

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के सर्कुलर क्रमांक ए / 62 / जबलपुर दिनांक 09.01.2021 के द्वारा पूर्व में जारी सर्कुलर क्रमांक ए / 3120 दिनांक 11.12.2020 के अनुक्रम में सर्कुलर क्रमांक डी / 2377 जबलपुर दिनांक 27 जून 2020, सर्कुलर क्रमांक क्यू—12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020, सर्कुलर क्रमांक बी / 2655 दिनांक 24.07.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों / निर्देशों के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 11 जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी 2021 तक निम्नलिखित प्रकरणों में नियमित रूप से सीमित फिजीकल सुनवाई किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं:—

01— रिमाण्ड, जमानत एवं सुपुर्दगीनामा से संबंधित मामले।
02— अपील एवं रिवीजन (सिविल एवं क्रिमिनल दोनों) से संबंधित मामले।
03— अण्डर ट्रायल कैदियों से संबंधित मामले।
04— 05 वर्ष से अधिक समय से लंबित सिविल एवं क्रिमिनल मामले।
05— मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण।
06— मोटर यान दुर्घटना दावा से संबंधित क्षतिपूर्ति जमा राशि के भुगतान से संबंधित मामले।
07— धारा 125 द0प्र0सं0 एवं धारा 128 द0प्र0सं0 से संबंधित मामले।
08— किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित मामले।
09— दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले।
10— राजीनामा से संबंधित मामले।
11— ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारत समय सीमा में निराकरण के आदेश दिये गये हैं।
12— ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें मामले की सुनवाई अर्जेंट प्रकृति की होना प्रतीत हो रहा है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के उक्त सर्कुलर के पालन में छिंदवाड़ा जिले के समस्त न्यायालयों (जिला मुख्यालय, कुटुम्ब न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों सहित) के लिये दिनांक 11 जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी 2021 तक नियमित रूप से सीमित फिजीकल सुनवाई उक्तानुसार (क्र0—1 से 12 तक) मामलों में की जायेगी। क्रमांक 4 एवं 5 में उल्लेखित सिविल / एम0ए0सी0टी0 प्रकरणों में पक्षकार शपथपत्र के माध्यम से मुख्य परीक्षण प्रस्तुत करेंगे, साक्षियों का प्रतिपरीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार कमीशन के माध्यम से किया जायेगा। यद्यपि पीठासीन अधिकारी विधि अनुसार समुचित मामलों में, जिन्हें वह ठीक समझते हों, अपने समक्ष भी साक्ष्य ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर उक्त मामलों में वीडियो कॉफ्रेंसिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पूर्व में विविध ज्ञापनों के माध्यम से बनाई गई व्यवस्था के अनुसार सुनवाई की जा सकेंगी। उक्त प्रकरण यदि पूर्व से आगामी तिथियों में नियत हैं, तब संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उभयपक्ष को सूचित कर उन्हें उपरोक्त तिथियों के मध्य कार्यवाही हेतु नियत कर सकते हैं। **उक्तानुसार क्रमांक 1 से 12 तक के प्रकरणों में सुनवाई करने के बाद तिथियॉं संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत की जायेंगी,** शेष प्रकरणों में निम्नानुसार आगामी तिथियॉं नियत की जावेंगी:—

स0क्र0	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	11-01-2021	02-03-2021	
2	12-01-2021	03-03-2021	
3	13-01-2021	04-03-2021	
4	14-01-2021	05-03-2021	
5	15-01-2021	06-03-2021	

नोटः—

1— संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिनांक 11 जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी 2021 तक के मध्य नियत किये जाने वाले प्रकरण सीमित संख्या में नियत करें, जिनकी वे सुनवाई कर सकें। अनावश्यक अत्यधिक मामलें नियत न करें।

2— संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के संलग्न सर्कुलर कमांक ए/62/जबलपुर दिनांक 09.01.2021 एवं पूर्व में जारी सर्कुलर कमांक ए/3120 दिनांक 11.12.2020 तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों/निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करेंगे।

sd/-
(बी0पी0 शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

प्रतिलिपिः—

1—. माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3— अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील— सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4— समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

5— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6— जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7— पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।

8— जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

9— जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

10— प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई—मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

11— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।

12— अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13— प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

14— कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

15— प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0पी0 शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़